Rina Devi Vs. Gopal Rawat and others

08.06.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी की हाजरी है। पुकार पर परिवादिनी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 21.02.2026 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त तीन साक्षियों करिश्मा कुमारी, गणेश रावत एवं सपना कुमारी का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी रीना देवी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2026 को समय करीब 5.00 बजे संध्या में परिवादिनी अपने बच्चो के साथ अपने घर में थी तथा बटाई कि खेत में लगे गेहूं और मसूर के लगे फसल को अभियुक्त गोपाल रावत अपनी चार बकरी से चरा रहा था, जिसकी शिकायत गोपाल रावत के घर पर किया। गोपाल रावत, नितीश कुमार, छत्तीस, नीलम देवी एवं प्रीति देवी सभी मिलकर ईंटा, पत्थर से लैश होकर उसके घर पर आया और उसको रंड़ी, भोसड़ी, हरामजादी, हरिजन, दुसाधिन कहकर गाली–गलौज करने लगा और बोला कि ''तुम दुसाधिन हो उसके जाति समाज में नही रह सकती हो''। विरोध करने पर उसको घर से खींच कर बाहर निकालकार मारपीट किया एवं मुंह पर थूक दिया, गोबर लगा दिया तथा साया, साड़ी, ब्लाउज फाड़कर अर्द्धनग्न कर मारपीट किया। जब उसे बचाने उसकी बेटी करिश्मा कुमारी एवं सपना कुमारी आयी तो नितीश कुमार एवं छत्तीस कुमार बुरी नियत से छेड़छाड़ किया एवं सूट फाड़ दिया। नीलम देवी एवं प्रीति देवी ने उसको डायन, कमायन, जादूगरनी कहकर अपमानित यिका एवं लप्पड़'–थप्पड़ से मारपीट किया। दिनांक 17.2.26 को समय 7.00 बजे संध्या में अभियुक्त छत्तीस कुमार एवं नितीश कुमार उसके घर के दरवाजे पर आकर कहा कि ''दुसाधिन, हरिजन, रण्डी, भोसड़ी मेरे समाज में आकर शादी कर समाज को गंदा कर दिया और दो–दो बेटी को जन्म दिया है। दोनों बेटी का अपहरण कह बेच देने की धमकी दिया।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त तीन साक्षियों करिश्मा कुमारी (परिवादिनी की पुत्री), गणेश रावत (परिवादिनी के पति) एवं सपना कुमारी (परिवादिनी की पुत्री) का साक्ष्य करवाया है। परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि गोपाल रावत का लड़का छत्तीस कुमार एवं नितीश रावत घर आया और लड़ाई–झगड़ा किया तथा उसका बाल खींच कर मारपीट किया तथा उसका बाल खींच कर मारपीट किया। जांच साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में साररूप से परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्य का समर्थन की है। जांच साक्षी संख्या 2 ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **यह मुकदमा उसकी पत्नी ने किया हैं। उसे दो लड़का और दो लड़की है। लड़को को गवाह नही बनाया, क्योंकि वे यहां नही रहते हे। दोनों लड़की को गवाह बनाया है। जमीनी झगड़ा है। गोपाल रावत बाहर रहता है, कहां रहता है, नही पता। उस पर थाने पर नितीश कुमार ने केस किया है। जेल नही गया है। उसकी बेल हो गयी है, उस मुकदमें में, उसका लड़का, उसकी लड़की दोनों बेटियां अभियुक्त है। उसकी बेटी और पत्नी का बेल हो गया है। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और गल्लम गाली हुआ था। उनका मुकदमा पुलिस ने ले लिया और उसका मुकदमा पुलिस ने नही लिया।** जांच साक्षी 3 ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि यह मुकदमा उसकी मां ने किया है। नितीश के मुकदमें में उसके मां और पिता ने जमानत करा ली है। मामले में सभी जांच साक्षी उसकी पुत्री एवं पति है। मामले में किसी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नही करवाया गया है। अतः मेरे विचार से मामले में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अभियुक्त के विरूद्ध किसी अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः यह आपराधिक परिवाद **अस्वीकृत (Reject)** किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।